

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 162/2018

दायर दिनांक 24.09.2018

वादीगण	प्रतिवादीगण
<ol style="list-style-type: none">1. भैवराराम पुत्र स्वर्गीय तिलोकाराम,2. नन्दाराम पुत्र स्वर्गीय तिलोकाराम,3. रामरतन पुत्र स्वर्गीय तिलोकाराम,4. उगमाराम पुत्र स्वर्गीय तिलोकाराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-डिकावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,5. नाथूराम पुत्र स्वर्गीय चौथुराम,6. जेताराम पुत्र स्वर्गीय चौथुराम,7. जसकरण पुत्र स्वर्गीय चौथुराम,8. लादूराम पुत्र स्वर्गीय चौथुराम,9. मगाराम पुत्र स्वर्गीय चौथुराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-डिकावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,10. प्रभाती पत्नी स्वर्गीय रामदेव पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,11. राजेश पुत्र स्वर्गीय रामदेव पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,12. मन्जू पुत्री स्वर्गीय रामदेव पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,13. मोनिका पुत्री स्वर्गीय रामदेव पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,14. सुखदेव पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,15. अरजन पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,16. सपी उर्फ सदी पत्नी स्वर्गीय लिछमणराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-डिकावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	<ol style="list-style-type: none">1. घासीराम पुत्र स्वर्गीय बालूराम, जाति-जाट, निवासी-डिकावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,2. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम

3-2
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 182/2018
दायर दिनांक 24.08.2018, निर्णय दिनांक 30.05.2018
भैराराम, दगैरा बनाम घासीराम, दगैरा।

दावा बाबत बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा- 53, R.T.Act.

उपस्थित:-

1. पक्षकारान् उपस्थित।

--: निर्णय :-


दिनांक 30.05.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 10 रकबा 24.06 बीघा, खसरा नम्बर 34 रकबा 27.02 बीघा, खसरा नम्बर 50 रकबा 22.11 बीघा, खसरा नम्बर 182 रकबा 25.10 बीघा व खसरा नम्बर 204 रकबा 02.00 बीघा, कुल रकबा 101.09 बीघा भूमि अवस्थित है।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 15 रकबा 20.00 बीघा, खसरा नम्बर 22 रकबा 03.15 बीघा, खसरा नम्बर 221 रकबा 17.16 बीघा, खसरा नम्बर 222 रकबा 01.09 बीघा व खसरा नम्बर 313 रकबा 30.13 बीघा, कुल रकबा 75.13 बीघा भूमि अवस्थित है।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 153 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नम्बर 154 रकबा 37.07 बीघा, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.17 बीघा व खसरा नम्बर 156 रकबा 0.05 बीघा, कुल रकबा 39.08 बीघा भूमि अवस्थित है।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 79 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 80 रकबा 23.18 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 82 रकबा 05.05 बीघा, खसरा नम्बर 83 रकबा 17.13 बीघा


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 162/2018
 वायर दिनांक 24.09.2018, निर्णय दिनांक 30.05.2018
 भैयशराम, वगैरा बनाम घासीराम, वगैरा।

व खसरा नम्बर 84 रकबा 02.09 बीघा, कुल रकबा 50.02 बीघा भूमि अवस्थित है।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 24 रकबा 32.19 बीघा, अवस्थित है। शरहद बेगसर में खसरा नम्बर 24 रकबा 68.10 बीघा व खसरा नम्बर 219 रकबा 12.04 बीघा भूमि अवस्थित है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 10 रकबा 24.06 बीघा सम्पूर्ण का वादीगण के स्थान पर वादीगण संख्या 01 ता 04 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 34 रकबा 27.02 बीघा सम्पूर्ण का समस्त वादीगण के स्थान पर वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 50 रकबा 22.11 बीघा सम्पूर्ण का समस्त वादीगण के स्थान पर, रकबा 14.00 बीघा प्रतिवादी घासीराम के तथा शेष वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 182 रकबा 25.10 बीघा सम्पूर्ण का समस्त वादीगण के स्थान पर वादीगण संख्या 05 ता 09 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 204 रकबा 02.00 बीघा सम्पूर्ण का समस्त वादीगण के स्थान पर, रकबा 0.16 बीघा प्रतिवादी घासीराम के तथा शेष का वादीगण संख्या 05 ता 09 को खातेदार घोषित किया जावे।


 सहायक कलेक्टर
 डी.बाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 162/2018
 दायर दिनांक 24.09.2018, निर्णय दिनांक 30.05.2018
 भँवराराम, वगैरा बनाम् घासीराम, वगैरा।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 15 रकबा 22.00 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी घासीराम के स्थान पर वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 22 रकबा 03.15 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी घासीराम के स्थान पर वादीगण संख्या 01 ता 04 को खातेदार घोषित किया जावे।


शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 221 रकबा 17.16 बीघा में प्रतिवादी घासीराम के स्थान पर रकबा 07.16 बीघा का प्रतिवादी घासीराम व 0.11 बीघा वादीगण संख्या 01 ता 04 के व रकबा 08.18 बीघा का वादीगण संख्या 05 ता 09 को व 0.11 बीघा का वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 222 रकबा 01.09 बीघा का प्रतिवादी घासीराम को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 313 रकबा 30.13 बीघा का प्रतिवादी घासीराम के स्थान पर वादीगण संख्या 05 ता 09 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 153 से 156 तक में 3/8 हिस्सा संयुक्त नाम के स्थान पर अकेले प्रतिवादी घासीराम को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 79 से 84 तक में 1/8 हिस्सा संयुक्त नाम के स्थान पर अकेले प्रतिवादी घासीराम को खातेदार घोषित किया जावे।


 सहायक कलेक्टर
 डीबबाना (नागौर)

शरहद डिकावा में खसरा नम्बर 24 रकबा 32.19 बीघा में वादीगण के स्थान पर वादीगण संख्या 01 ता 04 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद बेगसर में खसरा नम्बर 24 रकबा 68.10 में संयुक्त खातेदारी के स्थान पर अकेले प्रतिवादी घासीराम को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद बेगसर में खसरा नम्बर 219 रकबा 12.04 में संयुक्त खातेदारी के स्थान पर अकेले प्रतिवादी घासीराम को खातेदार घोषित किया जावे।


वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवाद संख्या 01 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान वकील श्री रामगोपाल अग्रवाल ने तथा प्रतिवादी संख्या 01 की पहचान वकील श्री लालसिंह गोदारा ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में, शपथ-पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 ग्राम डिकावा खेवट संख्या 26/26, 18/16, 17/15, 99/92 व 52/111 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 ग्राम बेगसर खेवट संख्या 52/45 व 51/44 की प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प-कलवानी में पत्रावली पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। उभयपक्षकारान् को सुना गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ने राजीनामा पेश कर दिया है तथा दावानुसार वाद डिक्री किया जाने पर सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान् की इस्तदुआ पर मन्त किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया गया।

मजमें आम में वाद में जानकारी ली गयी। वादग्रस्त भूमियों की घोषणा खातेदारी व बन्तवारा बाबत पक्षकारान् राजीनामा कर चुके हैं। मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पक्षकारान् राजीनामा


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

-:: आदेश ::-

हस्य दावा शरहद मौजा डिकावा व वेगसर में निम्नलिखित खसरान् की भूमियों का बन्दवारा "वाईमीट्स एण्ड वाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

(क) शरहद डिकावा में,-

1. खसरा नम्बर 10 रकबा 24.06 बीघा सम्पूर्ण का वादीगण संख्या 01 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 34 रकबा 27.02 बीघा सम्पूर्ण का वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 50 रकबा 22.11 बीघा में से रकबा 14.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को व शेष रकबा का वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 182 रकबा 25.10 बीघा सम्पूर्ण का वादीगण संख्या 05 ता 09 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. खसरा नम्बर 204 रकबा 02.00 बीघा में से रकबा 0.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा शेष रकबा 01.04 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 05 ता 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. खसरा नम्बर 15 रकबा 22.00 बीघा का वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. खसरा नम्बर 22 रकबा 03.15 बीघा का वादीगण संख्या 01 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. खसरा नम्बर 221 रकबा 17.16 बीघा में से रकबा 07.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 0.11 बीघा का वादीगण संख्या 01 ता 04 को व रकबा 08.18 बीघा का वादीगण संख्या 05 ता 09 को तथा 0.11 बीघा का वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
9. खसरा नम्बर 222 रकबा 01.09 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
बीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 162/2018
दायर दिनोंक 24.09.2018, निर्णय दिनोंक 30.05.2018
भैवराराम, वगैरा बनाम् घासीराम, वगैरा।

10. खसरा नम्बर 313 रकबा 30.13 बीघा सम्पूर्ण का वादीगण संख्या 05 ता 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
11. खसरा नम्बर 153 रकबा 0.19 बीघा व खसरा नम्बर 154 रकबा 37.07 बीघा व खसरा नम्बर 155 रकबा 0.17 बीघा तथा खसरा नम्बर 156 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 39.08 बीघा में से 3/8 हिस्सा अर्थात् 14.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
12. खसरा नम्बर 79 रकबा 0.13 बीघा व खसरा नम्बर 80 रकबा 23.18 बीघा व खसरा नम्बर 81 रकबा 0.04 बीघा व खसरा नम्बर 82 रकबा 05.05 बीघा व खसरा नम्बर 83 रकबा 17.13 बीघा तथा खसरा नम्बर 84 रकबा 02.09 बीघा कुल रकबा 50.02 बीघा भूमि में से 1/8 हिस्सा अर्थात् 06.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
13. खसरा नम्बर 24 रकबा 32.19 बीघा का वादीगण संख्या 01 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) शरहद बेगसर में,-

14. खसरा नम्बर 24 रकबा 68.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
15. खसरा नम्बर 219 रकबा 12.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- उपर्युक्तानुसार घोषणा खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प-कलवानी

निर्णय, आज दिनोंक 30.05.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प-कलवानी

नोट:- आरे पट्टेद्वारा के अक्षर को 50, 204, 221 57
अक्षर पसकाल 574 अक्षर नली नम्बर 22/6/2018
देखा जाय है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

डिक्री वमुकद्दमें इवतदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाव्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
--: न्याय आपके द्वार, 2018: राजस्व कोर्ट कैम्प :-
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 162/2018

दायर दिनांक 24.09.2018

वादीगण	प्रतिवादीगण
<ol style="list-style-type: none">1. भैवराराम पुत्र स्वर्गीय तिलोकाराम,2. नन्दाराम पुत्र स्वर्गीय तिलोकाराम,3. रामरतन पुत्र स्वर्गीय तिलोकाराम,4. उगमाराम पुत्र स्वर्गीय तिलोकाराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-डिकावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,5. नाथूराम पुत्र स्वर्गीय चौथुराम,6. जेताराम पुत्र स्वर्गीय चौथुराम,7. जसकरण पुत्र स्वर्गीय चौथुराम,8. लादूराम पुत्र स्वर्गीय चौथुराम,9. मगाराम पुत्र स्वर्गीय चौथुराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-डिकावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,10. प्रभाती पत्नी स्वर्गीय रामदेव पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,11. राजेश पुत्र स्वर्गीय रामदेव पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,12. मन्जू पुत्री स्वर्गीय रामदेव पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,13. मोनिका पुत्री स्वर्गीय रामदेव पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,14. सुखदेव पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,15. अरजन पुत्र स्वर्गीय लिछमणराम,16. सपी उर्फ सदी पत्नी स्वर्गीय लिछमणराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-डिकावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	<ol style="list-style-type: none">1. घासीराम पुत्र स्वर्गीय बालूराम, जाति-जाट, निवासी-डिकावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,2. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक 30.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा शरहद मौजा डिकावा व बेगसर में निम्नलिखित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

(क) शरहद डिकावा में,-

1. खसरा नम्बर 10 रकबा 24.06 बीघा सम्पूर्ण का वादीगण संख्या 01 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 34 रकबा 27.02 बीघा सम्पूर्ण का वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 50 रकबा 22.11 बीघा में से रकबा 14.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को व शेष रकबा का वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 182 रकबा 25.10 बीघा सम्पूर्ण का वादीगण संख्या 05 ता 09 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. खसरा नम्बर 204 रकबा 02.00 बीघा में से रकबा 0.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा शेष रकबा 01.04 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 05 ता 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. खसरा नम्बर 15 रकबा 22.00 बीघा का वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. खसरा नम्बर 22 रकबा 03.15 बीघा का वादीगण संख्या 01 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. खसरा नम्बर 221 रकबा 17.16 बीघा में से रकबा 07.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 0.11 बीघा का वादीगण संख्या 01 ता 04 को व रकबा 08.18 बीघा का वादीगण संख्या 05 ता 09 को तथा 0.11 बीघा का वादीगण संख्या 10 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डी.वा.वा. (नालीर)

9. खसरा नम्बर 222 रकबा 01.09 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
10. खसरा नम्बर 313 रकबा 30.13 बीघा सम्पूर्ण का वादीगण संख्या 05 ता 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
11. खसरा नम्बर 153 रकबा 0.19 बीघा व खसरा नम्बर 154 रकबा 37.07 बीघा व खसरा नम्बर 155 रकबा 0.17 बीघा तथा खसरा नम्बर 156 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 39.08 बीघा में से 3/8 हिस्सा अर्थात् 14.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
12. खसरा नम्बर 79 रकबा 0.13 बीघा व खसरा नम्बर 80 रकबा 23.18 बीघा व खसरा नम्बर 81 रकबा 0.04 बीघा व खसरा नम्बर 82 रकबा 05.05 बीघा व खसरा नम्बर 83 रकबा 17.13 बीघा तथा खसरा नम्बर 84 रकबा 02.09 बीघा कुल रकबा 50.02 बीघा भूमि में से 1/8 हिस्सा अर्थात् 06.05 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
13. खसरा नम्बर 24 रकबा 32.19 बीघा का वादीगण संख्या 01 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) शरहद बेगसर में,-

14. खसरा नम्बर 24 रकबा 68.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
15. खसरा नम्बर 219 रकबा 12.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार घोषणा खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-.....
 आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
 डीडवाना
 कोट कम्प-कलवानी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागीर)
कोर्ट कैम्प-कलवानी

दिनांक:- 22/6/2018

नोट: कोर्ट सट्टा दिनांक के अनुसार क्रमांक 50, 204, 221
का अंटेकारा प्रसकारात सार आकृत नजरी नमूना
दुरुकारा दिनांक जाता है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागीर)